विधि संकाय

विधि संकाय अपने स्थापना से ही विधिक शिक्षा के सुधार और उसको समाजिक रुप से संगत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करता आ रहा है। यह संस्था विधि स्नातक पूर्णकालिक तीन वर्षीय पाठ्यक्रम एवं पूर्णकालिक दो वर्षीय विधि स्नातकोत्तर को लागू करने में अग्रणी रही है। १९९८-९९ में इस विधि महाविद्यालय ने दो वर्षीय विधि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ''मानवधिकार एवं कर्त्तव्य शिक्षा'' एवं २००१-२००२ में एक नया पाठ्यक्रम ''पशु विधि'' को लागू किया। विधि संकाय ने बार कौंसिल आफ इडिया के निर्देशानुसार विधि पूर्वस्नातक पाठय्क्रम में आमूल चूल परिवर्तन किया और सत्र २००९-१० से एल.एल.बी. (आनर्स) प्रारम्भ किया।

विधि संकाय ने विश्वविद्यालय के उपयुक्त अध्यादेशों के अनुसरण में सत्र २०१०-२०११ से एल.एल.बी.(आनर्स), एल.एल.एम. और एल.एल.एम.(मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य शिक्षा) के पाठ्यक्रम में विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति को अंगीकृत किया। इसके अतिरिक्त, विधि संकाय ने जनवरी २०११ से पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में कोर्स वर्क भी प्रारम्भ किया ।

शैक्षणिक क्रिया कलाप

(१) प्रवेश एवं अध्यापन सम्बन्धी कार्य निश्चित अवधि के अन्दर पूरी कर ली गयीं तथा परीक्षायें शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुईं।

(२) संकाय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. बी.एस.मिश्रा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत रु.४२१०००/- की परियोजना शीषर्क 'प्रोटेक्शन आफ वाटर वाडीज एण्ड रेगुलेटरी रिसोर्सेज- ए केस स्टडी आफ वाराणसी एन्ड एडज्वायनिंग एरियाज' पर कार्य प्रगति पर रहा।

(३) कई अध्यापकों ने स्रोत व्यक्ति के रुप में एकेडेमिक स्टाफ कालेज में चलाये जा रहे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और ओरिएण्टेशन कोर्स में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त संकाय के कई अध्यापकों ने विभिन्न राष्ट्रीय कार्यशालाओं में भी भाग लिया।

(४) डॉ. अली मेहदी, प्रोफेसर, विधि संकाय इन्टरनेशनल यूनियन फार कन्जरवेशन आफ नेचर एण्ड नेचुरल रिर्सोसेज (वर्ल्ड कज्नरवेशन यूनियन), स्वीटजरलैण्ड द्वारा नामित पर्यावरण विधि आयोग के सदस्य के रुप में कार्य करते रहे।

(५) विश्वविद्यालय के ९४ वें दीक्षान्त समारोह के अन्तर्गत संकाय का दीक्षान्त समारोह मार्च १७, २०१२ को सम्पन्न हुआ।

(६) बड़ी संख्या में विधि स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातक के विद्यार्थियों का चयन न्यायिक अधिकारी, एवं अभियोजन अधिकारी, के रुप में कई राज्यो में यथा बिहार, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, मघ्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में हुआ।

(७) एक मूट कोर्ट हाल का निर्माण कार्य पुरा हुआ ।

(८) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सत्र २०११-२०१२ में आयोजित अन्तर संकाय युवा पर्व २०१२ और 'स्पन्दन' के बैनर के अन्तर्गत सम्पन्न हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा लघु नाट्य, प्रश्नोत्तर, नृत्य, गीत आदि और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में संकाय के छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पुरस्कार एवं प्रशंसा प्राप्त किया।

(९) सत्र २०११-२०१२ के दौरान विधि संकाय को विधि संस्थान में परिणित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर रहा।

अध्यापन का कार्यक्रम

देश के विभिन्न विधि महाविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विधि के पारम्परिक विषयों के अलावा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विधि महाविद्यालय में और पाठ्यक्रमों जैसे अपराध एवं दंडशास्त्र, अर्न्तराष्ट्रीय आर्थिक विधि, सार्वजनिक नियंत्रण एवं सहयोग विधि, ग्रामीण विकास सम्बन्धी विधि, किराया नियंत्रण विधि, सैन्य विधि, हिन्दू विधिशास्त्र एवं मुस्लिम विधिशास्त्र के लिये भी प्रबन्ध किये गये हैं। इसी प्रकार विधि महाविद्यालय में अनेक सेमिनार पाठ्यक्रमों जैसे विधि एवं समाज, विधि एवं गरीबी, विधि एवं शिक्षा, विधि एवं धर्म, विधि एवं महिलायें, विधि एवं बच्चे, विधि एवं योजना, विधि एवं उपभेक्ता, एवं विधि एवं चिकित्सा के लिये भी प्रबन्ध किये गये हैं। इनमें से अधिकतर पाठ्क्रमों का अध्यापन विगत कई वर्षों से हो रहा है।

देश के अनेक विधि महाविद्यालयों में विधि स्नातकोत्तर अध्यापन के साथ साथ विधि संकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में विधि स्नातकोत्तर में मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य शिक्षा के अध्ययन की व्यवस्था है जिसमें मानवाधिकार विधिशास्त्र, मानवाधिकार और भारत, मानवाधिकार की अर्न्तराष्ट्रीय विधि, मानवाधिकार एवं अपराधिक न्याय, अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी

विधि, अन्तर्राष्ट्रीय मानवीय विधि, मानवाधिकार एवं पर्यावरण, मानवाधिकार एवं महिलायें, मानवाधिकार एवं बच्चे, जैसे विषय शामिल हैं।